UPKN010000522005

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारीः शुचि श्रीवास्तव ....(ID–UP 6109)

सत्र परीक्षण संख्या–76/2013 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगरूप सिंह आदि मुकदमा अपराध संख्या–06/2005 धारा–308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट थाना–पनकी, कानपुर नगर।	
वादी मुकदमा	जगत नरायन
विशेष लोक अभियोजक	श्री प्रदीप पचौरी एवं श्री आशीष भदौरिया
अभियुक्तगण	1–जगरूप सिंह पुत्र राम सिंह 2–राहुल निवासी पुत्र जगरूप सिंह 3–श्रीमती सविता पत्नी जगरूप सिंह 4–कुमारी पूनम पुत्री जगरूप सिंह निवासीगण–223 ई०ओ० लाक पनकी, कानपुर नगर

<u>अपराध का विवरणः–</u>

अपराध की तिथि	20.05.2005

आरोप पत्र पंजीकृत किये जाने की तिथि	06.11.2005
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	29.04.2015
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	16.04.2026
अभियोग को निर्णय हेतु आरक्षित करने की तिथि	30.05.2026
निर्णय की तिथि	11.06.2026

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण का नाम	अभियुक्तगण का पेशा	किस अपराध के अंतर्गत आरोपित किया गया	दोषमुक्त किया गया या दोषसिद्ध किया गया
जगरूप सिंह		धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट	दोषमुक्त
राहुल		धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट	दोषमुक्त
श्रीमती सविता		धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट	दोषमुक्त
पूनम		धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट	दोषमुक्त

निर्णयः–

1. वर्तमान दाण्डिक/सत्र परीक्षण थाना पनकी जिला कानपुर नगर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम के विरुद्ध अंतर्गत धारा–

308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिताव धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

2. ***संक्षेप में*** अभियोजन कथानक के अनुसार वादी जगत नरायन खटिक पुत्र गजाधर निवासी म० नं० 233 ई ब्लाक थाना–पनकी, कानपुर नगर दिनांक 22.05.2005 को प्रातः लगभग 08:30 बजे बच्चों के झगड़े को लेकर श्री जगरूप सिंह भदौरिया पुत्र श्रीराम सिंह भदौरिया निवासी 223 ई–ब्लॉक, पनकी तथा उसका पुत्र राहुल भदौरिया, श्रीमती भदौरिया, श्री भदौरिया की बड़ी पुत्री एवं दो अज्ञात व्यक्ति डंडा व कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस आए। उन्होंने उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को मादरचोद, नीच, कमीने, चमार आदि अपशब्द कहे तथा मां–बहन की गालियां दीं। इसके उपरांत उन सभी ने एक राय होकर हाथ, डंडा, कुल्हाड़ी, लात–घूंसों से मारपीट करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी के सिर पर राहुल भदौरिया ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसे तथा उसके दोनों पुत्रों दिलीप व चंदन को भी बुरी तरह मारा–पीटा गया। उसकी पत्नी को मृत समझकर वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद वह अपनी पत्नी राजकुमारी तथा दोनों पुत्रों के साथ पनकी थाने एफआईआर दर्ज कराने गया, किन्तु थाना अध्यक्ष ने उसका प्रार्थना पत्र फाड़कर फेंक दिया तथा उसे, उसके दोनों पुत्रों चंदन व दिलीप तथा उसकी पत्नी राजकुमारी को हिरासत में ले लिया। उसकी पत्नी राजकुमारी को पुलिस द्वारा उपचार हेतु एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत आज भी चिंताजनक बनी हुई है। थाने पर न तो उसकी रिपोर्ट लिखी गई और न ही उसकी पत्नी का किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसके उपरांत उसे एवं उसके दोनों पुत्रों को जेल भेज दिया गया। बाद में मजिस्ट्रेट के आदेश पर हमारी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। राहुल को राजाराम अस्पताल से हटाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा हम लोगों के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

3. वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा संबंधित थाना हाजा को उपरोक्त पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु आदेशित किया गया। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना पनकी कानपुर नगर में अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 06/2005 धारा– 308, 452, 323, 324, 504,

506 भा0 द 0 सं0 व धारा–3(1)X एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे का खुलासा नकल जी0 डी0 में किया गया।

4. दौरान विवेचना गवाहान के बयान धारा–161 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। घटनास्थल की नक्शा नजरी तैयार की गयी। पीड़ित की इंजरी रिपोर्ट तैयार की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम के विरुद्व अंतर्गत अंतर्गत धारा–308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रेषित आरोप पत्र पर तत्कालीन अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सप्तम, कानपुर नगर द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की नियमानुसार उपस्थिति एवं 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन के उपरांत प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुये आदेश दिनांकित–21.09.2013 के जरिये सत्र उपार्पित किया गया। तदोपरान्त पत्रावली अन्तरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

6. दिनांक–29.04.2015 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम के विरुद्व अंतर्गत धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिताव धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की गयी।

7. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**
1–	दिलीप कुमार वर्मा	पी0 डब्लू0–1
2–	चन्दन	पी0 डब्लू0–2

8. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्रों को साबित किया गयाः–

क्रम संख्या–	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क–1	चिक एफ.आई.आर.
2.	प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3	नकल रपट
4.	प्रदर्श क–4	जगत नरायन की मेडिकल रिपोर्ट

5.	प्रदर्श क–5	दिलीप की मेडिकल रिपोर्ट
6.	प्रदर्श क–6	राजकुमारी की मेडिकल रिपोर्ट
7.	प्रदर्श क–7	सी.टी. स्कैन राजकुमारी
8.	प्रदर्श क–8	राजकुमारी की मेडिकल प्रपत्र
9.	प्रदर्श क–9	नक्शानजरी
10.	प्रदर्श क–10	आरोप पत्र

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक–25.05.2026 को अभियुक्तगण के बयान धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान में कहा कि घटना गलत है, गलत बयान दिया है। रंजिश के कारण उसके विरोधियों ने फर्जी मुकदमा लिखाया है।

10. अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर दिया गया अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 दिलीप कुमार वर्मा (वादी का पुत्र) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि,** घटना दिनांक– 20.05.2005 की सुबह साढ़े आठ बजे की है। मैं अपने घर से बाल कटवाने नाई की दुकान पर गया था साइकिल से गया था जब वापस आ रहा था तो जगरूप सिंह का लड़का राहुल अपने दरवाजे पर दोस्तों के साथ खड़ा था मैं जब उसके दरवाजे के सामने से गुजर रहा था उसी वक्त गाली–गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैंने पूरी घटना अपने पापा को बताई इससे पूर्व जब मैं इंटर में पढ़ता था मेरा भाई चंदन बीटेक में पढ़ता था हमारी किताब जगरूप सिंह भदौरिया के लड़के राहुल ले गए थे कई बार मांगने पर भी उसने मेरी किताब नहीं दी थोड़ी देर बाद भी जगरूप सिंह भदौरिया उनका लड़का राहुल पत्नी सविता लड़की पूनम हाथों में एक कुल्हाड़ी हाथ की डंडा लिए हुए थे मेरे इस दरवाजे पर आए उनके साथ अन्य दो व्यक्ति भी थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, सामने आने पर पहचान लूँगा। सभी लोग मेरे घर में घुसकर मुझे व मेरे पापा, मम्मी, भाई चंदन को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे मेरी मम्मी लहूलुहान होकर गिर गई। अभियुक्तगण मेरी माँ को भी मरा समझकर धमकी देते हुए चले गए। पनकी थाने गए थे लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। मेरे पापा की डाक्टरी जेल में की हुई थी पुलिस ने सभी को राजा राम हास्पिटल पनकी में भर्ती कराया था। जेल से

जमानत पर आने के बाद मेरे पापा ने कोर्ट से मुकदमा लिखाया। जगरूप के लड़के राहुल से किताब मांगने पर विवाद हुआ था। पुलिस ने हम लोगों के बयान लिए थे।

12. **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–2 चन्दन(वादी का पुत्र) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि,** "घटना दिनांक– 20.05.2005 की सुबह साढ़े आठ बजे की है। मेरा भाई दिलीप बाल कटवाकर आया तो उसने बताया कि जगरूप भदौरिया हुआ उनका लड़का राहुल हुआ अमन अपने दरवाजे पर खड़ा था उसके कुछ साथी भी हैं दिलीप को राहुल को राहुल ने रोकर मारपीट की व गाली भी दीं थोड़ी देर बाद राहुल कुल्हाड़ी लेकर, जगरूप भदौरिया हॉकी लेकर, जगरूप की पत्नी सविता सिंह डंडा लेकर तथा उनकी लड़की पूनम व दो अन्य व्यक्तियों के साथ मेरे घर पर आए और गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल परमानंद कुशवाहा एवं बाबूराम ने आकर उन्हें मारपीट करने से मना किया, किन्तु वे लोग नहीं माने। राहुल द्वारा चलाई गई कुल्हाड़ी मेरी माँ के सिर पर लगी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं। मुझे भी लात–घूंसों से मारा गया, जिससे मुझे चोटें आईं। अभियुक्तगण मेरी माँ को मृत समझकर वहाँ से भाग गए तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए कह रहे थे कि, "साले चमारों, तुम्हारी औकात बता देंगे।" हम लोग रिपोर्ट लिखाने थाना गए थे, किन्तु हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में जगरूप भदौरिया द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखवाकर मेरे पिता एवं मेरे भाई दिलीप को जेल भिजवा दिया गया था। में जगरूप भदौरिया द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखवाकर मेरे पिता एवं मेरे भाई दिलीप को जेल भिजवा दिया गया था। जेल में मेरे पिता एवं दिलीप की डॉक्टरी हुई थी, जबकि मेरी डॉक्टरी नहीं हुई थी। पुलिस द्वारा मेरा बयान लिये थे।

13. यहां यह उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण वादी मुकदमा जगतनरायण की मृत्यु दिनांक–21.08.2021 को व मजरूब राजकुमारी की मृत्यु दिनांक–19.05.2021 को हो जाने के कारण उनका साक्ष्य अंकित नहीं हो सका।

14. बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया गया है।

15. मैने राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक 'फौजदारी' तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

16. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य से

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करके अधिक से अधिक सजा दी जाए।

17. अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गए है उससे अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों पी.डब्लू.–01, व 02 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने वादी को आई चोटों के संबंध में वादी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

18. न्यायालय को यह देखना है कि **क्या अभियोजन अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम के विरुद्ध अंतर्गत धारा–308, 452, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)X एस.सी/एस.टी. एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?**

19. अभियोजन का आरोप है कि दिनांक–22.05.2005 को प्रातः लगभग 08:30 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुस कर वादी मुकदमा, उसकी पत्नी व पुत्रों के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की गयी जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी दी गयी।

20. वादी ने तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित किया है कि दिनांक 22.05.2005 को प्रातः लगभग 08:30 बजे बच्चों के झगड़े को लेकर श्री जगरूप सिंह भदौरिया पुत्र श्रीराम सिंह भदौरिया निवासी 223 ई–ब्लॉक, पनकी तथा उसका पुत्र राहुल भदौरिया, श्रीमती भदौरिया, श्री भदौरिया की बड़ी पुत्री एवं दो अज्ञात व्यक्ति डंडा व कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस आए। उन्होंने उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को गालीगलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा उन सभी ने एक राय होकर हाथ, डंडा, कुल्हाड़ी, लात–घूंसों से मारपीट करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी के सिर पर राहुल भदौरिया ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसे तथा

उसके दोनों पुत्रों दिलीप व चंदन को भी बुरी तरह मारा–पीटा गया। उसकी पत्नी को मृत समझकर वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए।

21. अभियोजन की ओर से उपरोक्त कथनों को साबित करने के लिए पी डब्लू–1 के रूप साक्षी दिलीप कुमार वर्मा को परीक्षित कराया गया है जिसने मुख्य परीक्षा में तहरीर के अभिकथनों का समर्थन नहीं किया है और यह बताया है कि घटना दिनांक– 20.05.2005 की सुबह साढ़े आठ बजे की है। वह अपने घर से बाल कटवाने नाई की दुकान पर गया था साइकिल से गया था जब वापस आ रहा था तो जगरूप सिंह का लड़का राहुल अपने दरवाजे पर दोस्तों के साथ खड़ा था। वह जब उसके दरवाजे के सामने से गुजर रहा था उसी वक्त गाली–गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। उसने पूरी घटना अपने पापा को बताई इससे पूर्व जब वह इंटर में पढ़ता था। उसका भाई चंदन बीटेक में पढ़ता था हमारी किताब जगरूप सिंह भदौरिया के लड़के राहुल ले गए थे कई बार मांगने पर भी उसने मेरी किताब नहीं दी। थोड़ी देर बाद भी जगरूप सिंह भदौरिया उनका लड़का राहुल पत्नी सविता लड़की पूनम हाथों में एक कुल्हाड़ी हाथ की डंडा लिए हुए थे। उसके इस दरवाजे पर आए उनके साथ अन्य दो व्यक्ति भी थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, सामने आने पर पहचान लूँगा। सभी लोग उसके घर में घुसकर उसे व उसके पापा, मम्मी, भाई चंदन को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे उसकी मम्मी लहूलुहान होकर गिर गई। अभियुक्तगण उसकी माँ को भी मरा समझकर धमकी देते हुए चले गए। पनकी थाने गए थे लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। उसके पापा की डाक्टरी जेल में की हुई थी पुलिस ने सभी को राजा राम हास्पिटल पनकी में भर्ती कराया था। जेल से जमानत पर आने के बाद उसके पापा ने कोर्ट से मुकदमा लिखाया। जगरूप के लड़के राहुल से किताब मांगने पर विवाद हुआ था। पुलिस ने हम लोगों के बयान लिए थे।

22. उक्त साक्षी पी.डब्लू.–1 दिलीप कुमार वर्मा ने अपनी जिरह मे कथन किया है कि घटना की तिथि व समय उसे याद नहीं है, क्योंकि घटना को काफी समय व्यतीत हो चुका है। घटना वाले दिन वह बाल कटवाकर लगभग 10:00 बजे वापस आया था। रास्ते में काफी लड़के सड़क पर खड़े थे। उनमें से किसी व्यक्ति ने उसके साथ गाली–गलौज की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। राहुल सिंह, सविता सिंह, कुमारी पूनम सिंह एवं जगरूप सिंह आदि ने न तो उसके साथ मारपीट की और न ही गाली–गलौज अथवा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। हम लोगों का पूर्व से एक–दूसरे के यहाँ आना–जाना था। उसके भाई

चंदन की क्वेश्चन बैंक की बुक जो लड़का लेकर गया था, उसका नाम वह नहीं जानता हूँ। वह, उसका भाई तथा उसके माता–पिता के साथ भीड़ में किसी ने मारपीट की थी, परन्तु उसने नहीं देखा कि किसने मारपीट की। जगरूप सिंह, सविता सिंह, कुमारी पूनम तथा राहुल का नाम उसने लोगों के कहने पर मुकदमे में लिखवा दिया था। इन लोगों से हमारे पूर्व से मधुर संबंध रहे हैं। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था तथा न ही उसने कोई नक्शा नजरी बनवाया था। पुलिस द्वारा हमारी चोटों के संबंध में किसी प्रकार का इलाज नहीं कराया गया था। उसका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पुलिस ने कैसे लिख लिया, यह वह नहीं बता सकता।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में अपनी मुख्य परीक्षा एवं अभियोजन कथानक के विपरीत कथन करते हुए स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वह, उसका भाई तथा उसके माता–पिता के साथ भीड़ में किसी ने मारपीट की थी, परन्तु उसने नहीं देखा कि किसने मारपीट की। राहुल सिंह, सविता सिंह, कुमारी पूनम सिंह एवं जगरूप सिंह आदि ने न तो उसके साथ मारपीट की और न ही गाली–गलौज अथवा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। जगरूप सिंह, सविता सिंह, कुमारी पूनम तथा राहुल का नाम उसने लोगों के कहने पर मुकदमे में लिखवा दिया था इस प्रकार उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा व जिरह में तात्विक विरोधाभास है जिसका लाभ अभियोजन को नहीं मिल सकता है।

23. अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी डब्लू–2 के रूप साक्षी चन्दन(वादी का पुत्र) को परीक्षित कराया गया है जिसने मुख्य परीक्षा में तहरीर के अभिकथनों का समर्थन किया है परंतु उक्त साक्षी ने अपने जिरह में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है तथा स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके भाई के साथ गाली गलौज व मारपीट उसके सामने नहीं की। उसका भाई कितने बजे बाल कटवाने गया था उसको नहीं मालूम तथा उसका भाई कितने बजे बाल कटवा के आया था उसको नहीं मालूम। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि उसके भाई के साथ मारपीट उसके सामने नहीं हुई है। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया है। केसडायरी में उसका बयान कैसे अंकित कर लिया, इसकी वजह वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि ये बात उसे पता है कि न्यायालय में झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है। उसका व अभियुक्तगण के मध्य न्यायालय के बाहर कोई समझौता नहीं हुआ है जिसके कारण आज वह न्यायालय में अभियोजन कथानक का समर्थन न कर रहा

हो। उपरोक्त मुकदमें के बाबत शासन से कोई आर्थिक सहायता उसके पिता जी को मिली हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक–22.05.2005 की सुबह 08:30 बजे उसके भाई दिलीप को राहुल ने रोककर जगरूप व उनकी पत्नी सविता सिहं ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से मारकर घायल किया हो। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली पर वादी जगतनरायण, पत्नी राजकुमारी, पुत्र दिलीप व चन्दन का चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र दाखिल है। उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों की मौलिकता को अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। दौरान विचारण वादी मुकदमा जगतनरायण की मृत्यु दिनांक–21.08.2021 को व मजरूब राजकुमारी की मृत्यु दिनांक–19.05.2021 को हो जाने के कारण उनका साक्ष्य अंकित नहीं हो सका। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण दिलीप कुमार वर्मा व चन्दन द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट कर नहीं की गयी है। मजरूब दिलीप का चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर शामिल है। मजरूब दिलीप ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना की दिनांक को मुल्जिमानों ने उसे मारापीटा नहीं था। न ही गालीगलौज की थी और न ही मुल्जिमानों ने उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी।

इस प्रकार अभियोजन के साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी के द्वारा अभियक्तगण के द्वारा मारपीट कर गंभीर चोटें कारित करने व गालीगलौज करने के संबंध में समपोषक बयान नहीं दिया है। अभियुक्तगण द्वारा चिकित्सीय प्रपत्र की मौलिकता स्वीकार करने का लाभ अभियोजन को नहीं दिया जा सकता है।

25. जहाँ तक अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–3(1)द अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी व उसके पुत्रों को अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने कथन किया गया है परन्तु दौरान वाद विचारण वादी की मृत्यु हो गयी है। वादी के पुत्र को अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसमें उसने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से

परीक्षित कराए गये साक्षी पी.डब्लू. –1 दिलीप व पी.डब्लू.–2 चन्दन ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी जो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया। अतः प्रस्तुत मामले में धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध लोक दृष्टि में आने वाले स्थल पर होना साबित नहीं माना जा सकता।

26. विधि का सिद्धान्त है कि उक्त के परिधि में आने वाले कृत्य उस स्थिति में आपराधिक स्वरूप ग्रहण करते हैं जब उक्त धारा के अधीन परिभाषित अपराध इस जानकारी व ज्ञान के साथ कारित किया गया हो कि पीड़ित पक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड व अन्य क्रिमिनल अपील नम्बर–707/2020 निर्णय दिनांकित 05.11.2020 एवं केशव महतो उर्फ केशव कुमार महतो बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2026 लाइव लॉ (एस0सी0) पेज–62** में यह अवधारित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं होता कि सूचनादाता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई आशय नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है) आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्य को निर्वाचित करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का उददेश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें नागरिक अधिकारों की संख्या से वंचित किया जाता है। अधिनियम के तहत अपराध तब किया जाना माना जायेगा जब रामाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को आक्रोश अपमान और उत्पीड़न किया जाता है। इसलिए अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया गया है कि सूचनाकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का आशय न हो। जहाँ तक प्रस्तुत मामले का प्रश्न है, प्रस्तुत मामले में परीक्षित साक्षीगण के बयान में यह नहीं आया है कि साक्षीगण के अनुसूचित जाति का होने के कारण अपमानित करने के आशय से घटना कारित की गयी है। प्रस्तुत मामले में साक्षीगण द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके

अपमानित करने के संदर्भ में इंकार किया है। इस प्रकार यह आरोप भी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है कि अभियुक्तगण जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, द्वारा जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य वादी अथवा उसके पुत्रगण का अपमान करने के आशय से साशय उनको अपमानित या अभित्रस्त किया गया। ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्तगण विपुल, जित्तन उर्फ जितन व रणवीर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को भी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

27. अतः उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व उसके परिवारीजन से मारपीट करने, जातिसूचक गाली देने व जान से मारने की धमकी देने का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि बचाव द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया गया है, किंतु तथ्य के साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने के कारण उसका लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

28. अतः उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, पूनम पर लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा–308, 452, 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस०सी०एस०टी० एक्ट को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, पूनम पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 308, 452, 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)X एस०सी०/एस०टी० एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

29. अभियुक्तगण जगरूप सिंह, राहुल, श्रीमती सविता, कुमारी पूनम को धारा– 308, 452, 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)X एस० सी० एस०टी० एक्ट थाना–कानपुर नगर के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

30. अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके बंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

31. अभियुक्तगण धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिये गये प्रावधानों के

अंतर्गत बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समतुल्य धनराशि की दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह निष्पादित करें कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है, तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें आहूत किया जाता है तो वह उपस्थित होगें। अभियुक्तगण द्वारा धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

32. इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्रेषित की जाए।

33. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(**शुचि श्रीवास्तव**)
(ID–UP6109)
विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम),
कानपुर नगर।

दिनांक–11.06.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित करके सुनाया गया।

(**शुचि श्रीवास्तव**)
(ID–UP6109)
विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम),
कानपुर नगर।

दिनांक–11.06.2026

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2026.06.25 13:22:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court